

प्रार्थी	अप्राथी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कायालय मुख्य विक्रिस्ता एवं स्वाराज्य अधिकारी जैसलमेर	1. श्री जयप्रकाश विश्वादेव पुत्र प्रेमसुख विश्वोदेव उम 25 वर्ष जाति विश्वादेव निवासी रोडा तहसील जोधा जिला श्रीकानेर (राज.) 2. मेसर्स जयप्रकाश आईसकीम आर.सी. पी. रोड रामदेवरा जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (1) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
2006 नियम 2011)

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री जयप्रकाश विश्वादेव पुत्र प्रेमसुख विश्वादेव।

--: निर्णय :- दिनांक: 05.08.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (1) के तहत अपराधीगण के विरुद्ध न्याय निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया व अपराधीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.09.2018 को 06:00 पीएम पर मेसर्स जयप्रकाश आईसकीम आर.सी.पी. रोड रामदेवरा जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्राथी मेसर्स जयप्रकाश आईसकीम आर.सी.पी. रोड रामदेवरा जिला जैसलमेर (राज.) दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री जयप्रकाश विश्वादेव पुत्र प्रेमसुख विश्वादेव कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्राथी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में भेंगो डोली वनीला अंकूल ब्राण्ड 65एमएल ₹ 16 आईसकीम को खादय पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर जावाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात भेंगो डोली वनीला अंकूल ब्राण्ड 65एमएल ₹ 16 आईसकीम लगभग 300-300 एमएल की प्लास्टिक के डिब्बे नमूने वास्ते लिये जिसके भेटे 450 रुपये नगद देकर जावाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा भेंगो डोली वनीला अंकूल ब्राण्ड 65एमएल ₹ 16 आईसकीम के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्रत्येक को प्लास्टिक के डिब्बे पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलों डीओ कोड एवं कैंसेल नंबर एन-872 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा जावाहन के हस्ताक्षर करवाये और जाट को अलग-अलग शाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप

निर्णय
न्यायालय न्याय निपटारा अधिकारी एवं
जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

एन-872 नियमानुसार चारों नमूनों पर भीचे से ऊपर तक गीद से विपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह बांस सील से मुहर बांधी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेटा एवं गोवाहन के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-872 में जो डोली वनीला अकूल बाण्ड 65एमएल 16 आईसकीम लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने जादने में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेटा एवं जादने को मौके पर पत्रकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने की कला, जो उन्होने पत्रकर सुनाकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्राप्ती स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्राप्ती ने कार्यालय पदुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इन्पेक्शन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां के सील बन्द कर सील मुहर कर खादय विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं द्वारा दिनांक 17.09.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चापडी से सील मुहर कर खादय विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द कर तथा नमूने का बौया भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को भेरे द्वारा दिनांक 16.09.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्राप्ती को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/5003-5006 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./648/Act/2018/667 दिनांक 06.04.2019 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सबरस्टेण्डर्ड) व विध्याखप पाया गया। खादय विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्राप्ती ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/रसी. /एन-872/ दिनांक के द्वारा आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विकेटा 1. श्री जयप्रकाश विश्वाई पुत्र प्रेमसुख विश्वाई उम्र 25 वर्ष जाति विश्वाई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर (राज.) 2. नेसरु जयप्रकाश आईसकीम आर.सी.पी. रोड रामदेवरा जिला जैसलमेर (राज.) ने सबस्टेण्डर्ड व विध्याखप में जो डोली वनीला अकूल बाण्ड 65एमएल 16 आईसकीम का विकय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्राप्ती ने निवेदन किया कि अप्रार्थीण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कोश करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही भिलावट पर अंकुश लग

नियमन अधिकारी एवं
जैसलमेर

जैसलमेर

2. अप्रार्थी की ओर से श्री जयप्रकाश विश्वाई दिनांक 12.07.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया कि अनवान प्रकरण में मुल्जिम पर लगाये गये आरोप मुल्जिम स्वेच्छा से लोक

अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। यह कि मैंने डोली वनीला अक्ल ब्राण्ड 65एमएल ₹ 16 आईसकीम के जॉब हेतु रिसे गये थे जो कि अमानक (सबस्टेण्डर्ड) व मिथ्याणप पाया गया है। जो नमूना लिया गया था, जो रिपोर्ट में कुछ कमी पाई गई लेकिन मानवहित के लिए कोई नुकसान दायक नहीं पाया गया। मैं एक छोटा विक्रेता हूँ जो कि मेरे के दोरान 01 महिने के लिए मैं आईसकिम बेच रहा था मुझे अधिक ज्ञान नहीं होने से मेरे को भाग करने की कृपया करे। मुल्लिम का प्रथम अपराध होने के कारण नरम रुख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की प्रार्थना है। भविष्य में हमारे द्वारा ना ही खरीदा जायेगा व पूर्ण सावधानी रखी जायेगी तथा किसी प्रकार की तापट्याही की पुनरावृति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रुख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि श्राद्ध सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जॉब रिपोर्ट सं. L.S./648/Act/2018/667 दिनांक 11.10.2018 के अनुसार मैंने डोली वनीला अक्ल ब्राण्ड 65एमएल ₹ 16 आईसकीम का उक्त नमूना अमानक (सबस्टेण्डर्ड) व मिथ्याणप पाया गया है। वहीं अप्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार करने से प्रार्थी पक्ष को इस्तागशा के तथ्यों को साबित करने अथवा साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं रही है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी श्री जयप्रकाश विश्नेई जो मेसर्स जयप्रकाश आईसकीम आर.सी.पी. रोड रामदेवरा जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराइटर द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) एवं मिथ्याणप स्तर के मैंने डोली वनीला अक्ल ब्राण्ड 65एमएल ₹ 16 आईसकीम का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 33,000/- अक्षरे तैतीस हजार रुपये मात्र की शक्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य विक्रिस्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भद "0210-विक्रिस्ता एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्रातियां, (03) श्राद्ध सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य विक्रिस्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नबबर से कम हो।

(भागीरथ बिष्टनेई)
 न्यायाधिकारिक न्यायाधीश एवं
 अतिरिक्त न्यायाधीश जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
 सुनाया गया ।

(भागीरथ बिष्टनेई)
 न्यायाधिकारिक न्यायाधीश एवं
 अतिरिक्त न्यायाधीश जैसलमेर